(2024) 8 एस.सी.आर. 868: 2024 आईएनएससी -634

के. निर्मला तथा अन्य

बनाम

केनरा बैंक तथा एक अन्य

(सिविल अपील सं0 (संख्याएँ) 9916-9920 वर्ष 2024

28 अगस्त 2024

(हीमा कोहली तथा संदीप मेहता, रचयिता, न्यायमूर्ति)

विचारणीय मुद्दा

क्या एक व्यक्ति जो प्रमाणपत्र पर आधारित राष्ट्रीयकृत बैंक/भारत सरकार उपक्रम की सेवाओं में पदग्रहण किया था जिसने इसकी पहचान राज्य सरकार के अधिसूचनाओं के अनुसरण में कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में किया था, जाति/जनजाति के अनुसूची को रद्द किये जाने के पश्चात पद प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

शीर्ष टिप्पणियाँ

सेवा विधि- अपीलार्थी को यह प्रमाणित करते हुए विधि के सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्राप्त जाति प्रमाणपत्रों पर आधारित अनुसूचित जाति के श्रेणी में प्रत्यर्थी सं0 1- बैंक द्वारा नियोजित किया गया था कि ये लोग समानार्थी जाति कोटेगरा समुदाय के है जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा जारी परिपत्र द्वारा 'कोटेगर मंत्री' (अनुसूचित जाति सूची मेें शामिल) कहे जाने वाले जाति के समक्ष बनाया गया था- फिर भी, मिलिन्द मामला में संविधान पीठ के निर्णय के दृष्टिगत यह धारित करते हुए कि अनुसूचित जाति की सूची में या से किसी प्रकार सम्मिलित होना। अपवर्जन मात्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत संसद के अधिनियम के जरिए किया जा सकता है, कर्नाटक राज्य ने अपीलार्थीगण के जाति के अनुसूची को रद्द किया था- यहकारण बताने के लिए अपीलार्थीगण को कारण बताओ नोटिसों को जारी किया गया था कि क्यो इनके सेवाओं को समाप्त न किया जाय- अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल रिट याचिकाएँ, उच्च न्यायालय द्वारा नामंजूर - हस्तक्षेपः

अभिनिर्धारितः आक्षेपित निर्णय अभिखंडित तथा अपास्त- अपीलार्थीगण को कारण बताओ नोटिसों को जारी करने में प्रत्यर्थी बैकों की प्रस्तावित कार्यवाही असंधार्य है तथा अभिखंडित- परिपत्र दिनांक 11-3-2002 तथा 29-3-2003 को उन लोगों ने नियोजन की संरक्षा करने वाले राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था जो पूर्वोक्त परिपत्रों को जारी किये जाने के पहले प्राप्त इन जाति प्रमाण पत्रों द्वारा लाभान्वित थे- इस प्रकार, अपीलार्थीगण परिपत्र दिनांक 29-03-2003 के आधार पर अपनी सेवाओं के सुरक्षा के हकदार है, जैसा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संसूचना दिनांक 17-08-2005 द्वारा अनुसमर्थित है, जो विशेष रूप से विभिन्न जातियों को संरक्षण दिया था जिसमें ऐसी जातियाँ भी शामिल थी जिसे पूर्ववर्ती सरकारी परिपत्र दिनांक 11-03-2002 में अपवर्जित किया गया था तथा यह सुनिश्चित करते हुए जातियाँ जैसे कोटेगरा, कोटे क्षत्रिय, कोटेयावा, कोटेयार, राम क्षत्रिय, शेरूगारा एवं सरवेगांरा आच्छादित थी कि अनुसूची रद्द किये जाने

के पहले जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों को रखने वाले इन जातियों के लोग हालांकि सभी भावी प्रयोजन हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के रूप में अपनी सेवाओं के संरक्षण का दावा करने के हकदार होगे- पूर्वोक्त संसूचना दिनांक 17-08-2005 संबंधित बैंक कर्मचारियों को संरक्षात्मक छत्र प्रबलित करता है एवं इन्हें विभागीय तथा दाण्डिक कार्यवाही से बचाता भी है। (पैरा 35, 37)

उद्धृत निर्णय जन्य विधि

महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द तथा अन्य **(2000) अनुपूरक-5 एससीआर 65: (2001) 1 एससीसी 4-अनुसरित**

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य बनाम जगदीश बलराम वहीरा तथा अन्य **(2017)" 11 एससीआर 271: (2017) 8 एससीसी 670 - निर्दिष्ट।**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

प्रमुख शब्दों की सूची

भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342: सरकारी परिपत्र; जातियों के अनुसूची को रद्द करना; रद्द अनुसूचित जातियाँ; कर्नाटक राज्य; अनुसूचित जाति (अनु0जा0)/ अनुसूचित जनजाति (अनु0ज0जा0); अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों; अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के सूची में पुनः पदाभिहित जातियाँ; अनुसूचित जाति श्रेणी; जाति प्रमाणपत्रों; कोटेगरा समुदाय, कोटेगर मत्री; समानार्थी जाति; अनुसूचित जाति सूची; कारण बताओ नोटिस; राष्ट्रीयकृत बैंक/भारत सरकार उपक्रम; मिथ्या या फर्जी जाति प्रमाणपत्र; सरकारी परिपत्र।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 9916-9920 वर्ष 2024

डब्ल्यू ए सं0 189, 190, 191, 192 तथा 193 वर्ष 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरू के निर्णय तथा आदेश दिनांक 24-04-2019 से

संबद्ध

सिविल अपील सं0 9922, 9923-9924 तथा 9921 वर्ष 2024

अधिवक्तागण

के0वी0 धनंजय, ए वेलन, सुश्री नवप्रीत कौर, धीरज एसए, विकास चन्द्र शुक्ला, सीतारमण वेंकट, एश्वर्य विक्रम, तरुण भुलिया, अजय अवस्थी, सिद्धार्थ रेलन, मुकुल राठौर, अनिल कटारकी, सुश्री बीना कटरकी, अनुराग कटरकी, देवव्रत आनंद, टी.आर.बी. शिवकुमार, अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण:

निशांत पाटिल, ए.ए.जी., धुरव महेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, रमेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, सुश्री निशी संगतानी, समीर मुदगिल, आर.पी. दैदा, सुश्री काविटोली जी मेपथो, सुश्री लिकिवी

जखलू, कुशाग्र निलेश सहाय, अरविन्द रे, त्रिदीवी बोस, करण वीर सिंह आनंद, सुश्री खैतान एण्ड कं0, राहुल रंजन वर्मा, सुश्री अस्मिता विसारया, निर्मल कुमार अमवासया डी.एल. चिदानंद, विगनेश अदिथिया एस, आयुष पी शा ॅह, वी.एन. रघुपति, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायमूर्ति

1. सुना गया ।

2. अनुमति प्रदान की गई है।

3. अपीलों का यह जत्था, जिसमें तथ्य तथा विधि का समान प्रश्न अन्तवलित है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा दिये गये निर्णयों से उद्भूत होता है, जैसा नीचे सारिणी में सूचीबद्ध है। सादृश्य को मानते हुए, अपीलों को एक साथ सुना जा रहा है तथा सामूहिक रूप से विनिश्चय किया जा रहा है।

विशेष अनुमति याचिका सं0 (संख्याएँ)	**रिट अपील सं0(संख्याएँ)**	**आक्षेपित निर्णय की तिथि**	**संबंधित प्रत्यर्थीगण/ नियोक्ता**	**समुदाय (अनु0जाति/ अनु0जनजाति)**
विशेष अनुमति याचिका (सी) सं0 13484-13488 वर्ष 2019	रिट अपील सं0 189-193 वर्ष 2019	24 अप्रैल 2019	केनरा बैंक आफ इण्डिया	कोटेगरा (अनु0 जाति)
विशेष अनुमति याचिका (सी) सं0 19877 वर्ष 2019	रिट अपील सं0 2253 वर्ष 2018 (एस. आर.)	3 जुलाई, 2019	ओरियण्टल इंश्योरेन्स कं0 लि0	कुरूबा (अनु0ज0जा0)
विशेष अनुमति याचिका (सी) सं0 23500 - 23501 वर्ष 2019	रिट अपील सं0 3666 वर्ष 2016 (एसडीआईएस) संबंद्ध रिट अपील सं0 3483 वर्ष 2016	3 जुलाई, 2019	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि0	कुरूबा (अनु0ज0जा0)
विशेष अनुमति याचिका (सी) सं0 13453 वर्ष 2019	रिट अपील सं0 316 वर्ष 2019	24 अप्रैल 2019	केनरा बैंक आफ इण्डिया	कोटेगरा (अनु0जाति)

विशेष अनुमति याचिका (सी) सं0 (संख्याएँ) 13484-13488 वर्ष 2019 को प्रमुख मामले के रूप में माना जायेगा। इन अपीलों का परिणाम सभी संबद्ध मामलों को विनियमित करेगा।

4. एक ही क्रम जो इन मामलों में व्याप्त है यह है कि क्या एक व्यक्ति जिसने प्रमाण पत्र पर आधारित राष्ट्रीयकृत बैंक/ भारत सरकार उपक्रम की सेवाओं में पदग्रहण किया था जिसमें इसे राज्य सरकार के अधिसूचनाओं के अनुसरण में कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति (अनु0जा0/अनुसूचित जनजाति (अनु0ज0जा0) के रूप में चिन्हित किया गया था, जाति/जनजाति के अनुसूची के रद्द किये जाने पश्चात् पद प्रतिधारित करने का हकदार होगा। स्थिति इस तथ्य के बावजूद अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के सूची में कुछ जातियों को पुनः पदाभिहित करने वाले कर्नाटक राज्य के कारण पैदा हुई है कि इस अधिकारिता को अनन्यतः भारत के संबिधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत स्कीम के आधार पर संसद को प्रदान किया गया है।

5. संक्षेप में, प्रमुख मामले में अपीलार्थीगण का व्यक्गित विवरण नीचे व्यौरेवार हैः-

क्र0सं0	इसमें अपीलार्थी का नाम	जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	सेवा पद ग्रहण की तिथि
1.	के नर्मला/अपीलार्थीनी की संख्याः1	6 फरवरी 1978	26 सितम्बर 1978
2.	के0.बी0.शंकर/अपीलार्थी सं0.2	17 मार्च 1978	20 जुलाई 1981
3.	के0.के0. प्रभाकर/अपीलार्थी सं0.3	17 मार्च 1978	24 मार्च 1981
4.	एस0 सुरेश/अपीलार्थी सं0.4	2 मार्च 1981	23 मार्च 1981
5.	मुक्ता एस0.राव/अपीलार्थी सं0. 5	30 नवम्बर 1987	30 नवम्बर 1987

6. जैसा ऊपर सारिणी से स्पष्ट है, सिविल अपील विशेध अनुमति याचिका (सी) सं0. 13484-13488 वर्ष 2019 में अपीलार्थी से 1 से 5 को यह प्रमाणित करते हुए जाति प्रमाण-पत्रों पर आधारित अनुसूचित जाति श्रेणी में केनरा बैंक(एतस्मिन पश्चात् प्रार्थी सं0.1- बैंक के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा नियोजित किया गया था कि ये लोग समानार्थी जाति" कोटेगरी समुदाय के है जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा जारी सरकारी परिपत्र दिनांक 21 नवम्बर 1977 द्वारा 'कोटेगरी मत्री कही जाने वाली जाति (अनुसूचित जाति की सूची में शामिल) के समकक्ष बनाया गया था। यह निर्विवादित है कि अपीलार्थीगणने विद्यमान सरकारी परिपत्र के अनुसार इन जाति प्रमाण पत्रों को सम्यक प्राप्त किया था।

7. **महाराष्ट्र राज्य बनाममिलिन्द तथा अन्य (2000) अनुपूरक एससीआर 65 : (2001**) 2 एससीसी4में न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारितकिया कि राज्य सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत प्रकाशित अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ सूची को संशोधित या उपांतरित रखने का अधिकार नहीं है। जाति को केवल तभी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जाति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब भारत के संविधान क्रमशः अनुच्छेद 341, तथा 342 क के अधीन विहित शक्तियों के प्रयोग में

इस आशय का राष्ट्रपतीय आदेश जारी किया जाता है। मिलिन्द (ऊपर) में इस न्यायालय नें निम्नवत् अभिनिर्धारित दिया हैः-

> ''15.इस प्रकार यहस्पष्ट है कि **राज्यों के पास राष्ट्रपतीय आदेशों का संशोधन करने की शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ दल या राज्य में आज की तारीख के सरकार को लोकप्रियता हासिल करने या मतों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपतीय आदेशों के साथ कच्चा काम करने के दबाव या बोझसे मुक्त किया जाता है।** शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने तथा राज्य की सेवाओं में नियोजन में लाभ प्राप्त करने के लिए कई व्यक्ति बडे पैमाने पर शैक्षणिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित इस प्रकार के लोगों को दिये गये संरक्षात्मक भेदभाव के असली उद्देश्यको विफल तथा व्यर्थ करते हुए राष्ट्रपतीय आदेशों द्वारा आच्छादित अनुसूचित जातिया अनुसूचित जनजाति केवास्तविक तथा जरूरत मंद व्यक्तियों को वंचित करते हूए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने के रूप में दावा कर रहे है। **न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकारिता का विचार नहीं कर सकते है तथा नही करना चाहिए कि क्या विशेष जाति, उप-जाति या जनजाति उप-जनजाति का एक समूह या हिस्सा अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रपतीय आदेशों में उल्लिखित प्रविष्टियों के किसी एक में शामिल है विशेष रूप से तब जब उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च आदेशों से खण्ड द्वारा बनाये गये विधि के सिवाय संशोधन या बदला नहीं जा सकता है।** राष्ट्रपतीय आदेश को शामिल करने या अपवर्जित करने संशोधित या बदलने की शक्ति को स्पष्ट रूप से तथा अनन्यतः संसद को प्रदान किया गया है तथा निहित हैएवं वह भी इस संबंध में विधि निर्माण करते हुए। राष्ट्रपति के पास राज्यों के राज्यपालो के जरिये राज्यों से परामर्श करने का लाभ था जिसके पास यह ज्ञात तथा सिफारितकरने के लिए साधन तथा मशीनरी था कि क्या विशेष जाति या जनजाति को राष्ट्रपतीय आदेश में शामिल किया जाना है। यदि उक्त आदेशों का संशोधन किया जाना है, संसद ही न्यायालयों से भिन्न साधनों तथा मशीनरी के होने की जानकारी लेने के लिए बेहतर स्थिति में होता है कि क्यों विशेष जाति या जनजाति को संसद द्वारा बनाये जाने वाले विधि द्वारा शामिल या अपवर्जित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपतीय आदेश के अनुसूची में राज्य सरकारों या न्यायालयों या अन्य प्राधिकरणों या अधिकरणों को यह जाँच करने की अनुमति देना कि क्या एक विशेष जाति या जनजाति को राष्ट्रपतीय आदेश के अनुसूची में शामिल के रूप में माना जाना चाहिए, जब यह इस प्रकार विशेष रूप से शामिल नहीं है, के कारण समस्यायें हो सकती है। अनुच्छेद 15(4) या 16 (4) के प्रयोजन हेतुआरक्षणों का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 341 तथा342 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रपतीय आदेशों द्वारा आच्छादित दिये जाने का दावा करते हुए कई लोग आगे आ रहे है। इसके अलावा, संसद के अलावा अन्य प्राधिकरण वह भी एक मात्र विधि द्वारा राष्ट्रपतीय आदेशों का संशोधन नहीं कर सकता है, न तो राज्य सरकारें नहीं न्यायालय नहीं अधिकरण नहीं कोई प्राधिकरणयह घोषित करने के

लिए जाँच करने तथा साक्ष्य लेने की अधिकारिता को धारण कर सकता है कि जातिया जनजातिअथवा जाति या जनजाति में एक समूह या हिस्सा एक प्रविष्टि या अन्य में राष्ट्रपतीय आदेशों में शामिल है यद्यपि इसे स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है। न्यायालय इस बहुत समुचित कारण पर उक्त राष्ट्रपतीय आदेशों को परिवर्तित या संशोधत नहीं कर सकता है कि इसके पास अनुच्चेद 341 तथा 342 के अर्थ, अन्र्तवस्तु तथाव्याप्ति में ऐसा करने की शक्ति नही है यह धारित करना संभव नहीं है कि यह कहा जाय कि विशेष जाति या जनजाति के सम्बन्ध में कोई जाँच अनुज्ञेय है या किसी साक्ष्य को आने दिया जा सकता है कि क्या यह राष्ट्रपतीय आदेशों में शामिल है जब इसे इस प्रकार स्पष्ट शामिल नही किया गया है।

(बल दिया गया)

8. **मिलिन्द** (ऊपर) के मामले में निर्णय के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग (वैकिंग संभाग) भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय के परामर्श से पत्र दिनांकः 12 मार्च 1987 द्वारा कर्नाटक राज्य के परिपत्रों जिसमें कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में कोटेगरा जाति शामिल थी को नगण्य घोषित किया था। संबंधित प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को संबोधित पत्र को एतस्मिनपश्चात् नीचे दोहराया जाता है।

"........ कोटेगरा, कोटे-क्षत्रिय के व्यक्ति कर्नाटक में अनुसूचित जाति के रूप में लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं है। इन समुदायों को कभी भी एवमेव कर्नाटक में अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना गया है। राज्य सरकार के पास अनु0जा0/अनु0जन0जा0 के सूचीयों के वर्तमान सूचीयोंमें किसी संसोधन को करने की शक्ति नहीं है जिसे केवल संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342(2) के दृष्टिगत संसद के अधिनियम के जरिए दिया जा सकता है। इसके दृष्टिगत, इस आशय का कर्नाटक सरकार द्वारा जारी आदेशों में कोई वैधता नही है।

ऊपर स्पष्ट स्थिति के दृष्टिगत, कोटेगरा तथा कोटे-क्षत्रिय के लोग जिन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षितरिक्ति के विरूद्ध नियुक्त किया गया हैको इनके आरंभिक नियुक्ति के समय पर भी अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस समुदाय को कभी भी भारत सरकार द्वारा कोटेगर-मत्री (एवमेव) समानार्थी भावनाओं के रूप में कभी भी नहीं माना गया है जो कर्नाटक में एसएससी की सूची में है। वास्तव में, अभ्यर्थीगण जिन्हें आरक्षित पदों के विरूद्व नियुक्त किया गया हैके दावा को स्वीकार करने के पहले नियोक्ता विभाग राज्य सरकार के जटिल मामले का सत्यापन करवाने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है।

9. कर्नाटक सरकार ने राज्य के सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को संरक्षण उपलब्ध कराते हुए परिपत्र दिनांकः 11 मार्च 2002 जारी किया था जिसने राज्य द्वारा जारी सरकारी परिपत्रों के अधीन समानार्थी जाति पर आधारित जाति प्रमाणपत्रों को प्राप्त किया था।

इन व्यक्तियों को 11 मार्च 2002 से प्रभावी सामान्य मेरिट (जीएम) श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्त किये गये के रूप में माना जाना था। उक्त परिपत्र में यह भी उपबंध किया गया था कि इस प्रकार के अभ्यर्थीगण अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के रूप में भावी प्रोन्नतियों या किसी अन्य लाभो के लिए पात्र नहीं होगे, यद्यपि ये लोग अपने-अपने पिछड़े वर्ग जिसके ये लोग है के अन्तर्गत लाभों का दावा कर सकते है। यद्यपि कोटेगरा समुदाय को इस परिपत्र में शामिल नहीं किया गया था, पश्चातवर्ती परिपत्र दिनांक 29 मार्च 2003 को कोटेगरा, कोटेक्षत्रिय, कोटेयावा, कोटेयार, रामक्षत्रिय, शेरूगारा तथा सरवेगरा समुदाओं के व्यक्तियों को परिपत्र दिनांकः 11 मार्च, 2002 के लाभों को देते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा जारी दिया गया था, जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकारी परिपत्रों के अनुसार जाति प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किया था।

10. यह भी निर्विवादित है कि अपीलार्थीगण द्वारा धृतजाति प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अर्थात् जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा रद्द किया गया था तथा इस निर्णय को इनके अपने-अपने नियोक्ताओं को संसूचित किया गया था। तत्पश्चात संबंधित पुलिसथाना में कुछ अपीलार्थीगण के विरूद्धदाण्डिक कार्यवाहियाँ आरम्भ की गई थी, फिर भी इन कार्यवाहियों को दण्ड प्रक्रियासंहिता, 1973 (एतस्मिन पश्चात् द0प्र0सं0 के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित किया गया था।

11. प्रत्यर्थी सं.2 अर्थात् अपर पुलिस महानिदेशक, निदेशालय नागरिक अधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने प्रत्यर्थी सं0.1- बैंक को इस आधार पर अपीलार्थीगण के सेवाओं को समाप्त करने के लिए सूचित किया था इन लोगों ने फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नियोजन प्राप्त किया था। क्रमशः, प्रत्यर्थी सं0.1- बैंक ने कारण बताने के लिए आहुत करते हुए अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया था कि क्यों दो इनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थीगण ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओ को दाखिल करते हुए पूर्वोक्त नोटिसो को चुनौती दिया था जिसे नामंजूर दिया गया था।

12. अपने रिट याचिकाओं के खारिज किये जाने से व्यथित अपीलार्थीगण ने विद्वान एकल न्यायमूर्ति के विरूद्ध उच्च न्यायालय के विद्वान खण्डपीठ के समक्ष अन्तर-न्यायालय रिट अपीलों कोअधिमानित किया था।

13. विशेष अनुमति द्वारा अपीलो के इस जत्था को रिट अपीलों को नामंजूर करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान खण्डपीठ के निर्णयों पर अभ्याक्रमण करने के लिए अधिमानित किया गया है जैसा उपरोक्त सारिणी में संकेत दिया गया है।

अपीलार्थीगण की ओर से निवेदनः-

14. अपीलार्थीगण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तथा जोशपूर्ण तरीके से तर्क दिया है कि मामले की असली बुनियाद जैसा प्रत्र्थी सं0. 1-बैंक तथा अन्य नियोक्ताओं द्वारा पेश किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा धृत जाति प्रमाणपत्रमिथ्या/जाली है, अनुसूचित है। इन लोगों ने तर्क दिया है। कि जाति प्रमाण पत्रों

को यह पुष्ट/प्रमाणित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा वैध तरीके से जारी किया गया था कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के है क्योंकि इनके जाति को कर्नाटक सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया गया था। इन लोगों ने आगे निवेदन किया है कि मिलिन्द (ऊपर)के निर्णय के अनुसरण में इन जाति प्रमाण-पत्रों के रद्दकरण का परिणाम केवल अपीलार्थीगण को इनके आरक्षित श्रेणी प्रस्थिति पर आधारित प्रोन्नति इत्यादि सहित किसी अतिरिक्त/भावी सेेवा लाभों का दावा करने से वंचित करेगा। किसी भी अपीलार्थीगण ने कभी स्वयं को अपने जाति के संबंध में अधिकारियों के समक्ष दुव्र्यपदेशित नहीं किया था तथा विवादास्पद जाति प्रमाणपत्रों को विधि के सम्यक् कार्यवाही का अनुसरण करने के पश्चात जारी किया गया था तथा इस प्रकार मिथ्या तथा जाली प्रमाणपत्रों के रूप में इस पर संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता है।

15. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि कर्नाटक सरकार द्वारा जारी सरकारी परिपत्र दिनांक 11 मार्च 2002 तथा 29 मार्च 2003 के बाद वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाओं का विभाग) (कल्याण अनुभाग) भारत सरकार ने भी निम्न निदेशों के साथ अध्यक्ष तथा प्रबध निदेशक स्टेट बैंक आफ मैसूर को पत्र दिनांक 17 अगस्त 2005 जारी किया थाः-

> ''2. इस मंत्रालय के पत्र सं.04 (4)/2002-एससीटी(बी) दिनांक 30 अपैल, 2003 के पैरा 2 में, यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ जातिप्रमाणपत्र को सुरक्षा समिति जिसमें 3 सदस्य होते है द्वारा मामले पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा रद्द किया जाता है तथा जहाँ संबंधित कर्मचारी को समिति केसमक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, आगे अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा कर्मचारी के सेवाओं को तत्काल समाप्त किया जा सकता है।
>
> 3. संदर्भ के अन्तर्गत आपके पत्र में अन्य बातों के साथ यहकहा गया है कि कर्नाटक सरकार के आदेश दिनांक 29 मार्च 2003 के आधार पर कई कर्मचारीगण जिनका जाति प्रमाण-पत्र अब बैध नही है, सामान्य श्रेणी में विचार किये जाने के लिए अपने नियुक्ति तथा रद्दकरण हेतु सक्षम अधिकारी को अपने मूल जाति प्रमाण पत्रों का अभ्यर्पण करने की अनुमति देने के लिए अपने विरूद्ध लंबित मामलों को वापस किये जाने की माँग कर रहे है।
>
> 4. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ अनुसूचित जाति के बैक मे नियुक्ति के बाद अनुसूची/अधिसूचना को रद्द किया गया है, संबंधित कर्मचारी को पद आधारित रोस्टर में सामान्य श्रेणी के कर्मचारी के रूप में माना जा सकता है तथा अनुशासनात्मक मामला यदि कोई इसके विरूद्ध लंबित है को रद्दकरण हेतु सक्षम अधिकारी को मूल जाति प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण करने के लिए इसे अनुमति देते हूए वापस लिया जा सकता है।

पत्र दिनाक 17 अगस्त 2005 पर भरोसा रखते हुए विद्वानअधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उपरोक्त पत्र व्यवहार स्पष्ट रूप से उपवंध करता है कि बैंक के कर्मचारी (गण) के

नियुक्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति के अनुसूची या अधिसूचना को रद्द किया गया है, इस प्रकार के कर्मचारीगण को पद आधारित रोस्टर में सामान्य श्रेणी कर्मचारी (गण) रूप में पुर्नवर्गीकृत किया जा सकता है। रद्दकरण हेतु इन्हें सक्षम अधिकारी के समक्ष मूलजाति प्रमाण-पत्र अभ्यर्पणकरने का आदेश देते हुए कर्मचारी (गण) के विरूद्ध किसी लंवित अनुशासनिक मामले को वापस लिया जाना चाहिए।

16. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूँकि वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने भी कर्नाटक सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 11 मार्च 2002 तथा 29 मार्च 2003 मेंव्यक्त विचारों का पृष्ठांकन नहीं किया था उच्चन्यायालय के विद्वान खण्ड पीठ ने अपीलार्थीगण को अनुतोष से बंचित करते हुए तथा इन्हें इन परिपत्रों का लाभ देते हुए इनके सेवाओं को वचाने से इंकार करने में त्रुटि किया था। इन्होंने यह भी प्राख्यान किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा किये गये 8 जुलाई 2013 को सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप द्वारा पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार को अपीलार्थीगण के हानि के लिए पढ़ातथा प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें भूतलक्षी लागू नहीं होता है।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ ने **अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक भारतीय खाद्यनिगम तथा अन्य बनाम जगदीश बलराम वाहिरा तथा अन्य (2017) 11 एससीआर 271 (2017) 8 एससीसी 670** के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए अपीलार्थीगण को अनुतोष से वंचित करने में त्रुटि किया था क्योंकि उक्त निर्णय का विनिश्चयाधार महाराष्ट्रा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचना मे से निकाले गये जन जाति (विमुक्ता जाटिस)घुमन्तू जाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र के प्रकाशन तथा सत्यापन का विनियमन अधिनियम 2000) के निर्वचन पर आधारित है, जो महाराष्ट्र राज्य के लिए विनिर्दिष्ट विशेष अधिनियमिति था। इस प्रकार की कोई अधिनियमिति कर्नाटक राज्य में विद्यमान नहीं है, जिसने विरोध में, उन व्यक्यिों को बचाते हूए परिपत्र दिनांक 11 मार्च 2002 तथा 29 मार्च 2003 जारी किया था जिसने समानार्थी जातियों को निर्दिष्ट करते हुए राज्य द्वारा जारी पूर्व विद्यमान परिपत्रों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किया था।

18. इन आधारो पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से अपीलो से स्वीकार करने, आपेक्षित आदेशों को अपास्त करने तथा प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के सेवाओं को बचाने का आदेश देने का अनूरोध किया है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से निवेदनः-

19. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तथा जोशपूर्ण तरीके से अपीलार्थीगण की ओर से पेश तर्को का विरोध किया है। इन लोगों ने आग्रह किया है कि अपीलार्थीगण ने जाली जाति प्रमाणपत्रों पर आधरित आरक्षित श्रेणी पदो के विरूद्ध नियोजन प्राप्त किया था तथा इस प्रकार ये लोग अपनी सेवाओं को बचाने के हकदार नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि कर्नाटक सरकार द्वारा जारी

सरकारी परिपत्र दिनांक 11 मार्च 2002 तथा 29 मार्च 2003 केवल राज्य के सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को संरक्षण उपलब्ध कराता है तथा इस प्रकार उक्त परिपत्र उन अपीलार्थीगण के समान व्यक्तियों के लाभ के लिए लागू नहीं किया जा सकता था जिसने केन्द्र सरकार/भारत सरकार के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों में नियोजन प्राप्त किया था जिस पर भारत सरकार का गहरा तथा व्यापक नियंत्रण है।

20. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कर्नाटक सरकार के परिपत्र दिनांकः 11मार्च 2002 को निर्दिष्ट करने वाले सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनाक 8 जुलाई 2013 पर बल दिया है तथा आग्रह किया है कि समानार्थी जातियाँ,कोटेगरा, कोटे क्षित्रय कोटेयावा, कोटेयार,रामक्षत्रिय शेरूगारा तथा सरवेगारा इत्यादि कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जातियों के सूची में उल्लिखित नहीं है तथा इसलिए इन समानार्थी जातियों के सदस्यगण अर्थात् इसमें अपीलार्थीगण कर्नाटक राज्य में भी अनुसूचित जाति के श्रेणी के लाभों का दावा नहीं कर सकते है।

21. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान विवाद स्पष्ट रूप से **मिलिन्द** (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा आच्छादित नहीं है, जिसमें संदेह से परे यह अधिकथित किया गया है कि राज्यों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रपतीय आदेशों का संशोधन करने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपतीय आदेश में शामिल करने या अपवर्जितकरने, संशोधित करने या परिवर्तित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से तथा अनन्यतः संसद को प्रदान किया गया है तथा में निहित है तथा वह भी इस संबंध में विधि निर्माण करके एवं इस प्रकार अपीलार्थीगण को ठीक ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा अनुतोष से वंचित किया गया था।

22. प्रत्यर्थी सं.1- बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि अपीलार्थीगण अपनी सेवाओं के बचाने का दावा करने के हकदार नहीं है जिसे इन लोगों ने जाली तथा फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर आरक्षित पदों के विरूद्ध प्राप्त किया था।

23. अन्य प्रत्यर्थीगण- नियोक्तागण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त निवेदनों को अंगीकार किया है तथा अपीलों को खारिज करने एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

24. हमने रोक पर पेंश निवेदनों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णयों तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

चर्चा तथा निष्कर्षः-

25. आरंभ में यह उल्लेखनीय है कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थीगण ने विधि केसम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने जाति प्रमाण-पत्रों (अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत) को प्राप्त किया था। जब इन्हें जाति प्रमाण पत्रों को अपीलाथीगण के समानार्थी जाति के रूप में जारी किया गया था को कर्नाटक सरकार द्वारा जारी परिपत्र

के आधार पर अनुसूचित जातियों के सूची में शामिल किया गया था, हालांकि शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो राज्य में निहित नहीं था।

26. जैसा **मिलिन्द** (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अनुसूचित जातियों की सूची में या से कोई समावेश या अपवर्जन केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत संसद के अधिनियम के जरिये किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप, न तो राज्य सरकार नही न्यायालयों के पास अनुसूचित जातियों के सूची को उपांतरित करने का अधिकार है जैसा उपरोक्त अनुच्छेदो के अन्तर्गत राष्ट्रपतीय आदेश द्वारा प्रख्यापित है।

27. इस सुस्पष्ट कारण की वजह से **मिलिन्द** (ऊपर) में निर्णय के अनुसरण में, कर्नाटक सरकार ने उन जातियों को अनुसूची से निकालने के लिए अनुज्ञेय निर्णय लिया था जिससे इसमें अपीलार्थीगण संबंध रखते थे। फिर भी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अनूसूचित जातियों के सूची में राज्य सरकार द्वारा किये गये पूर्व समावेश के अन्तर्गत अपीलार्थीगण को जारी जाति प्रमाण-पत्र हालाकि विधिक भ्रम में दुव्र्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के नियोजन को बचाने के लिए व्यावहारिक निर्णय लिया था जो सरकारी परिपत्र दिनांक 11मार्च2002 तथा 29 मार्च 2003 को जारी करने के पहले प्राप्त इन जाति प्रमाण-पत्रों द्वारा लाभान्वित हुए थे। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि इसमे प्रत्येक अपीलार्थीगण इस श्रेणी में आते है। ये सरकारी परिपत्र स्पष्ट रूप से अनुबद्ध करते है कि लोग जिन्होने त्रुटिपूर्ण सरकारी परिपत्रों/आदेशों के अन्तर्गत जारी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नियोजन प्राप्त कियाथा इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत भावी लाभों का दावा करने के लिये इससे अधिक हकदार नहीं होगे तथा अब से सभी व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु सामान्य मेरिट श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में माना जायेगा।

28. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने, कर्नाटक सरकार के परिपत्र दिनांक 29 मार्च 2003 को निर्दिष्ट करते हुए स्पष्ट किया था तथा सिफारिश किया था कि ऐसे मामलों में जहाँ अनुसूचित जाति के कर्मचारी (कर्मचारियों) को बैंक में नियुक्ति के बाद अनुसूची से निकाला गया है, संबंधित कर्मचारी (कर्मचारियों) को समान्य मेरिट के श्रेणी के अन्तर्गत माना जा सकता है तथा इसके विरूद्ध लंबित किन्ही अनुशासनिक मामलों को वापस लिया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के कर्मचारी(गण)को सक्षम अधिकारी के समक्ष मूलजाति प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण करना होगा।

29. इस प्रतिपादना पर कोई दो राय नही हो सकता है कि कर्नाटक सरकार के परिपत्र दिनाक 11 मार्च 2002 तथा 29 मार्च 2003 के प्रकाशन के साथ इसमें अपीलार्थीगण द्वारा धृत अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र स्वयमेव प्रति संहृत हो गया था तथा इन्हें 12 मार्च 1987 से आरक्षित श्रेणी में लाया गया था।

30. **मिलिन्द** (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय राष्ट्रपतीय आदेश का संशोधन करने के राज्य के शक्ति के संबंध में विवाद्यक पर विचार कर रहा था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारत के संविधान के अनतर्गत 341 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रपतीय आदेशों

के साथकच्चा काम करने की अधिकारिता राज्य के पास नहीं है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिक्ता द्वारा यह भी आग्रह नहीं किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी समावेश के त्रुटिपूर्ण सूची पर आधारित अपीलार्थीगण द्वारा धृत प्रमाण-पत्र बैध था या संरक्षित किया जाना चाहिए। यह मानते हुए इनका एकमात्र अनुरोध अपीलार्थीगण के सेवाओं कोे बचाने का था कि इनके जाति प्रमाण-पत्रों को अबैध माना जायेगा तथा यह कि ये लोग आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत किसी भावी लाभों के हकदार नहीं होगे।

31. **मिलिन्द** (ऊपर) के मामले में भी, निर्णय समाप्त करते हूए इस न्यायालय ने इसमें प्रत्यार्थीगण के सेवाओं को निम्न तरीके से बचाया थाः-

> "38. प्रत्यर्थी वर्ष 1985-86 के लिए चिकित्सा पाठयक्रम में सम्मिलित हुआ था। अब तक लगभग 15 वर्ष बीत चुका है। हमें बताया गया है कि इसने पहले ही पाठयक्रम को पूरा कर लिया है तथा सम्भव है कि वह बतौर डा0 व्यवसाय कर रहा है। इस दृष्टि से तथा समय के इस बिस्तार पर इसके दाखिला को निष्प्रभावी करना किसी के फायदे में नहीं है। चिकित्सा पाठयक्रम को पूरा करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी पर भारी धनराशि खर्च की जाती है। निःसन्देह एक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को प्रत्यर्थी सं0 1 को दिये गये दाखिला द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से वंचित किया गया था। यदि प्रत्यर्थी संख्या एक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, इस कारण समाज को डाक्टर की सेवा से वंचित किया जा सकता है जिस पर सार्वजनिक धन पहले ही खर्च किया गया है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय इसके द्वारा प्राप्त डिग्री तथा बतौर डाक्टर इसके व्यवसाय को प्रभावित नही करेगा। लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि वह अनुसूचित जनजाति आदेश द्वारा आच्छादित अनुसूचित जाति का होने का दावा नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह कोई आगे या किसी अन्य संवैधानिक प्रयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति आदेशों का लाभ नही ले सकता है। **समय बीतने को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत परिस्थितियों में, जिसमें विशेष अनुमति याचिका(सी) सं0 16372 वर्ष 1985 में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तथा अन्य संबंधित मामले शामिल है, हम स्पष्ट करते है कि प्रवेश तथा नियुक्तियाँ जो अंतिम हो गई है, इस निर्णय द्वारा अप्रभावित रहेगा।**

(बल दिया गया)

32. परिपत्र दिनाक 11 मार्च 2002 तथा 29 मार्च 2003 कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया था। जिसके द्वारा, संरक्षण उन व्यक्तियों को दिया गया था जिसने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनाक 12 मार्च 1987 के प्रकाशन के पहले जारी जाति प्रमाण-पत्रों का लाभ उठाया था। तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 अगस्त 2005 द्वारा राज्य के इस निर्णय का अनुमोदन भी किया था तथा प्रत्यर्थी सं0 1-बैंक के कर्मचारियों को कर्नाटक सरकार द्वारा मंजूर संरक्षण दिया गया था।

33. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8 जुलाई 2013 के गहराई से छानबीन के पश्चात् जिस पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा काफी अधिक भरोसा किया गया है, ऐसा मालुम

होता है कि कार्यालय ज्ञाप के पैरा 3 में संबंधित अधिकारी ने सुरक्षा की छतरी से कतिपय जातियों को अपवर्जित करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा जारी सरकारी परिपत्र दिनांक 11 मार्च 2002 को निर्दिष्ट किया है। यह कहता है कि सरकारी अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2002 परिवारा, तलवार मालेरू, कुरूवा, वेस्टा तथा कोजी समुदाओं से संबधित है जिनके सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किया था। उक्त आदेश में कोटेगरा, कोटे क्षत्रिय कोटेयावा, कोटेयार, रामक्षत्रिय, शेरूगारा तथा सरवेगारा इत्यादि जातियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

34. इस प्रकार स्पष्ट रूप से उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप कर्नाटक सरकार के परिपत्र दिनाक 29 मार्च 2003 के न जानकारी में जारी किया गया था, जिसने आगे समुदाय जिसमें कोटेगरा, कोटे क्षत्रिय, कोटेयावा कोटेयार रामक्षत्रिय, शेरूगारा तथा सरवेगारा शामिल है को पूर्ववर्ती सरकारी परिपत्र दिनाक 11 मार्च 2002 द्वारा दिये गये संरक्षण को बढ़ाया गया था। यह सरकारी परिपत्र कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8 जुलाई 2013 को जारी करते समय सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिस से पूर्णतया बच निकला प्रतीत होता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कर्नाटक सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 29 मार्च 2003 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के नाते विचार न किये जाने के दोष से ग्रसित है। अतः हमें यह धारित करने में काई हिचकिचाहट नहीं है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8 जुलाई 2023 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संसूचना दिनांक 8 जुलाई, 2023 को अधिक्रांत नहीं कर सकता है तथा इसे अपीलार्थीगण पर प्रतिकूल प्रभाव-डालने के संबंध में पढ़ा नहीं जा सकता है।

35. ऊपर किये गये चर्चा के परिणामस्वरूप हम निष्कर्ष निकालते है कि अपीलार्थीगण कर्नाटक सरकार द्वारा जारी सरकारी परिपत्र दिनाक 29 मार्च 2003 के आधार पर अपनी सेवाओं को बचाने के हकदार है जैसा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संसूचना दिनांक 17 अगस्त 2005 द्वारा अनुमादित है। कर्नाटक सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 29 मार्च 2003 विशेष रूप से विभिन्न जातियों को संरक्षण दिया था जिसमें ऐसी जातियाँ शामिल है जिसे पूर्ववर्ती सरकारी परिपत्र दिनाक 11 मार्च 2002 में अपवर्जित किया गया था। यह पश्चात्वर्ती परिपत्र में जातियाँ जैसे कोटेगरा, कोटे क्षत्रिय, कोटे यावा, कोटेयार, राम क्षत्रिय, शेरूगारा तथा सरवेगारा आच्छादित है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूची से निकाले जाने के पहले जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों को रखने वाले इन जातियों के लोग अपनी सेवाओं को बचाने का दावा करने के हकदार होगें हालाँकि सभी भावी प्रयोजनों हेतु अनारक्षित अभ्यथियों के रूप में। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संसूचना दिनांक 17 अगस्त 2005 संबन्धित बैंक कर्मचारियों को संरक्षात्मक छतरी प्रबलित करता है तथा इन्हें विभागीय एवं दाण्डिक कार्यवाही से बचाता है।

36. सिविल अपील विशेष अनुमति याचिका (सी) सं0. 23500-23501 वर्ष 2019 में अतिरिक्त विशेषता है, जिस पर बल दिया जाना चाहिए। उक्त अपीलों में अपीलार्थिनी अर्थात श्रीमती हेमावती ने तर्क दिया है कि इसने 1985 में मैसूर विश्वविद्यालय से औद्योगिक उत्पादन में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम में 8वीं रैंक प्राप्त किया था। इनकी ओर से यह तर्क दिया गया है कि जाति प्रमाण-पत्र से अनपेक्ष अपीलार्थिनी

अभियांत्रिकी डिग्री में अपने मेरिट पर आधारित हिन्दुस्तान एरोनाॅटिक्स लिमिटेड (एतस्मिन् पश्चात एच.ए.एल. के रूप में निर्दिष्ट) में नौकरी प्राप्त किया होता तथा यह कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्यों कि महिला कर्मचारीगण का संस्थान (एचएएल) में स्वागत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा उठाये गये इस महत्वपूर्ण तर्क का पर्याप्त तरीके से विरोध प्रत्यर्थी-एचएएल द्वारा अपने प्रगति शपथपत्र में नहीं किया गया है।

37. परिणामस्वरूप हमधारित करते है कि कारण बताने कि क्यों इनकी सेवाओं को समाप्त न किया जाय अपीलार्थीगण को नोटिस (नोटिसों) को जारी करने में प्रत्यर्थी बैंकों/उपक्रमों की प्रस्तावित कार्यवाही कायम नहीं रह सकती है तथा एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

38. परिणामस्वरूप, खण्डपीठ द्वारा दिया गया आपेक्षित निर्णय छानबीन करने के लिए साथ नहीं देता है तथा अतः इसे अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

39. तदनुसार इन निबंधनों में अपीलों को अनुज्ञात किया जाता है। कोई खर्च नहीं।

40. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है, निपटाया जायेगा।

मामले का परिणाम: अपीले अनुज्ञात।

दिव्या पाण्डेय द्वारा शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)